(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–रायसेन निग/3390/PBR/15

श्री .... द्वारा आज दि. 16.10.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

याशू जैन नाबालिग संरक्षक कस्तूरचंद जैन
निवासी– गैरतगंज जिला रायसेन (म.प्र.)
...... आवेदक

विरूद्ध

मनोज कुमार पुत्र श्री रामसाहय श्रीवास्तव
निवासी – गैरतगंज जिला–रायसेन (म.प्र.)
...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/अ6अ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा भूमि बंटान द्वरूस्ती हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार गैरतगंज के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की थी। और पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया था, जिसपर उभय पक्षों की सुनवाई की प्रकरण आदेशार्थ रखा गया था। और दिनांक 30.01.2012 को अनावेदक की आपत्ति निरस्त कर प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु दिनांक 17.02.2012 को नियत किया गया था। इसके पश्चात् प्रकरण में आदेश अन्तिम रूप से पारित कर दिया गया इस तथ्य की जानकारी आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल प्राप्त होने पर हुयी थी उक्त जानकारी के आधार पर आवेदक द्वारा तहसीलदार गैरतगंज के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गैरतगंज के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 46/2011–12 प्रस्तुत की थी। जो विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2013 से स्वीकार की जाकर मूल नक्शे में बंटान किये जाने के निर्देश तहसीलदार गैरतगंज को दिये गये थे।

2. यहकि, तहसीलदार गैरतगंज द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गैरतगंज के आदेश के अनुसार मूल नक्शे में संशोधन न होकर बंटाकन में संशोधन कर नक्शे में इन्द्राज करने के निर्देश राजस्व निरीक्षक मण्डल गैरतगंज एवं हल्का पटवारी को दिनांक 25.07.2015 में दिये गये थे। इसके पश्चात् पटवारी द्वारा पालन प्रतिवेदन अक्स फर्द बंटान तहसीलदार गैरतगंज के समक्ष प्रस्तुत किया।

3. यहकि, तहसीलदार गैरतगंज के समक्ष की जा रही कार्यवाही के दौरान अनावेदक अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार गैरतगंज के समक्ष धारा 32 भू–राजस्व संहिता का इस आशय से प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायालय के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3390-पीबीआर/2015 रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	